

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 (भौतिक विज्ञान) के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिरतावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-3/नियुक्ति-भौतिक विज्ञान/पीएससी-2015/2017 दिनांक-24.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम पदस्थापन आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिरतावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश इसके पश्चात् जारी किए गए।

निम्नलिखित याचिकाकर्ता ने आरपीएससी भर्ती 2015 में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय भौतिक विज्ञान में पदस्थापित स्वयं से न्यून वरिष्ठता वाले कार्यिकों के समान वरिष्ठता, वेतनवृद्धि नोशनल लाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14306/2021 देवेन्द्र सिंह शेखावत व अन्य बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

उक्त याचिका में माननीय राजा उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.11.2021 में उक्त याचिका को मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजा सरकार व अन्य एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7283/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 व कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजा सरकार व अन्य एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19179/2017 निर्णय दिनांक 30.10.2017 से कवर्ड करते हुए निर्णय पारित किया है कि -Writ petition is disposed of requiring the petitioners to make a representation to respondent no.2 - Director, Secondary Education, Bikaner, alongwith a copy of this order, who shall, after verifying the facts stated above, consider and decide the same by a speaking order within a period of three months from the date of its making, addressing the grievance of the petitioners for extending them the relief as prayed for, as the candidates, who stood lower in merit, are getting benefit of higher pay, seniority, annual grade increments and other service benefits including the selection scales. If the respondent no.2 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits.

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकाकर्ता गण देवेन्द्र सिंह शेखावत व अन्य में निम्नांकित अभ्यर्थी देवेन्द्र सिंह शेखावत व महेश टांक प्राध्यापक भौतिक विज्ञान द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्यिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाग की मांग की है।

क्रम संख्या	नाम	व्याख्याता विषय	जन्म दिनांक	मेरिट नम्बर	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	देवेन्द्र सिंह शेखावत	भौतिक विज्ञान	03.02.1990	384	02.07.2017	06.07.2017
2	महेश टांक	भौतिक विज्ञान	01.07.1983	586	02.07.2017	04.07.2017

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 14306/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 08.11.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी।

उपर्युक्त उल्लेखित अभ्यर्थियों में से व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 (भौतिक विज्ञान) में उक्त अभ्यर्थियों से कनिष्ठ वरीयताधारी बिपिन शर्मा (मेरिट क्रमांक-821) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में बिपिन शर्मा द्वारा दिनांक 30.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाग परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं। बिपिन शर्मा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकाकर्ता (भौतिक विषय) के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्यिक बिपिन शर्मा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकाकर्ता देवेन्द्र सिंह शेखावत व अन्य भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, लेकिन वे केवल नोशनल परिलाग के हकदार ही होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आदेशक

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 14.03.2023

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौग/या.स./14306/2021/ देवेन्द्र सिंह शेखावत व अन्य/नोशनल/ प्रतिनिधि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निशित साहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निशित साहायक, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ सचिव विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शारदा सचिवालय, जयपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
7. जि.शि.अ (माध्य-विधि) जोधपुर।
8. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. संबंधित शाला प्रधान/प्रधानाचार्य एवं कार्यिक।
11. गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (कार्यिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर